राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

NHB(ND)/GSD/OT030 42/2021
June 23, 2021

MDs/EDs/CEOs and PMAY-CLSS Nodal Officers
All Primary Lending Institutions which have signed MoUs with NHB for implementation of PMAY-CLSS

Madam/Sir,

CLSS for MIG under PMAY (U) – Interest subsidy for loans sanctioned and disbursed during 01.01.2017 to 31.03.2021

As you are aware that Credit Linked Subsidy Scheme for Middle Income Group (CLSS for MIG) was applicable up to 31.03.2021. As per Operational Guidelines for CLSS for MIG, housing loans sanctioned and disbursed from 01.01.2017 to 31.03.2021 are to be considered for release of interest subsidy subject to fulfilment of eligibility as per PMAY-U guidelines.

2. In this regard, in order to finalise the fund requirements for such pending MIG cases, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) has requested NHB to provide details of **eligible MIG cases (loan sanctioned and disbursed till March 31, 2021).**

3. Accordingly, you are advised to provide details of the cases which are pending with your organisation to be uploaded on the CLAP Portal (either pending for application ID generation or for uploading on NHB portal), in the following format:

No. of Eligible Pending Cases (Nos.)	Eligible Amount of Subsidy (Rs.)

3. The above information should be mailed (Email: parichay@nhb.org.in; ankit.pal@nhb.org.in) to NHB **latest by July 2, 2021**. Further, as directed by MoHUA, you are advised to **ensure to upload all such eligible claims latest by July 21, 2021 on NHB's PMAY-CLSS Portal**.

Thanking you,

Yours faithfully

(S.K. Padhi)
General Manager

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई.मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

रा.आ.बैंक (नदि)/जीएस/3040/2021
23 जून, 2021

प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं पीएमएवाई-सीएलएसएस नोडल अधिकारी
पीएमएवाई-सीएलएसएस के कार्यान्वयन हेतु रा.आ.बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थान

महोदया/महोदय,

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत एमआईजी हेतु सीएलएसएस – दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2021 के दौरान संस्वीकृत एवं संवितरित ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी

जैसा कि आपको विदित है, मध्य आय वर्ग (एमआईजी हेतु सीएलएसएस) हेतु ऋण आधारित सब्सिडी योजना दिनांक 31.03.2021 तक लागू थी। एमआईजी हेतु सीएलएसएस के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2021 तक संस्वीकृत एवं संवितरित आवास ऋणों पर पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता की पूर्ति के अधीन ब्याज सब्सिडी जारी करने हेतु विचार किया जा रहा है।

2. इस संबंध में, इस प्रकार के लंबित एमआईजी मामलों के लिये निधि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने रा.आ.बैंक से **पात्र एमआईजी मामलों (31 मार्च, 2021 तक संस्वीकृत एवं संवितरित ऋण)** का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रारूप में उन मामलों का विवरण उपलब्ध करायें जो आपके संगठन के पास क्लैप पोर्टल (या तो आवेदन आईडी जनरेट करने के लिए या रा.आ.बैंक पोर्टल पर अपलोड करने के लिए लंबित) पर अपलोड किए जाने हेतु लंबित हैं:

पात्र लंबित मामलों की सं. (सं.)	सब्सिडी की पात्र राशि (रु.)

3. उपर्युक्त जानकारी को **दिनांक 2 जुलाई, 2021 तक** रा.आ.बैंक को मेल (ईमेल: parichay@nhb.org.in; ankit.pal@nhb.org.in) करें। इसके अतिरिक्त, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशित, आपको सूचित किया जाता है कि **रा.आ.बैंक के पीएमएवाई-सीएलएसएस पोर्टल पर दिनांक 21 जुलाई, 2021 तक इस प्रकार के सभी पात्र दावों को अपलोड किया सुनिश्चित करें।**

धन्यवाद,

भवदीय,

(एस. के. पाढ़ी)
महाप्रबंधक